उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0. अपील वाद सं0 03/2022–23

ललित राउत.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

वकील राउत.....उत्तरकारी।

आदेश

08.07.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–61/21–22 में पारित आदेश दिनांक–15.02.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वाद की संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा आगोया, अंचल–जामा एक प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान खगेश्वर राउत थे। अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तरकारी अंतिम प्रधान के कनिष्ठ पुत्र है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु पी0ए0 वाद सं0–61/2021–22 दायर किया गया। इस पर अंचल अधिकारी जामा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी जामा से जॉच प्रतिवेदन एवं 16 आना रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। अपीलकर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया है कि उनके द्वारा भाई यानी उत्तरकारी की नियुक्ति प्रधान पद पर

धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मौजा के 16 आना रैयतों द्वारा उत्तरकारी के समर्थन में आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय दिया गया है। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अंतिम प्रधान के छोटे पुत्र उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया इसी नियुक्ति आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। अंचल अधिकारी द्वारा उन्हें मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु जॉच प्रतिवेदन में अनुशंसा किया गया है परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अंतिम प्रधान के कनिष्ठ पुत्र को प्रधान पद पर नियुक्ति किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है तथा नियम विरूद्ध है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

उत्तरकारी को मौजा के 16 आना रैयतों का लिखित समर्थन प्राप्त है। अपीलकर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया है कि यदि उत्तरकारी की नियुक्ति प्रधान पद पर धारा–6 के अन्तर्गत होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है।

प्रावधान

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत अंतिम प्रधान के उत्तराधिकारी को प्रधान नियुक्ति की प्रावधान है तथा संथाल परगना काश्तकारी रूल्स 1950 के **शेडयूल V में नियुक्ति की प्रक्रिया निहित है जो निम्न प्रकार है:–**

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

Schedule-V The Appointment of Headman :- Rule -3

The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman. If the heir be a minor, he may be appointed headman with a *sarbrakhar* to manage for him until he attains his majority.

Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724. के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है कि :–

Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature – Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

निष्कर्ष

इस प्रकार उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा आगोया के अंतिम प्रधान खगेश्वर राउत थे। अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तरकारी उनके कनिष्ठ पुत्र है। अपीलकर्त्ता द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु शपथ पत्र द्वारा समर्थन किया गया है। 16 आना रैयत द्वारा भी उत्तरकारी को लिखित समर्थन दिया गया है कि उत्तरकारी शिक्षित है एवं पिता के रहते हुए अपने पिता का सारा कामकाज किया है। अपीलकर्त्ता अशिक्षित है एवं कभी भी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है। इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। संथाल परगना कास्तकारी रूल्स 1950 के शेडूयल V के रूल्स–3 के अनुसार *The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman* के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधान के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होता है। इसे बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

1578BDL 01/9/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:23:08 +05:30
Location: 169.254.227.244

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।